

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के आदेश संख्या - 04/DDMA/2015-16 दिनांक 07 अप्रैल, 2015 एवं आदेश संख्या - 07/DDMA/2015-16 दिनांक 07 मई, 2015 के द्वारा स्थाव सोनप्रयाग से श्री केदारनाथ धर्म एवं स्थान सीतापुर-सोनप्रयाग के मध्य DDMA के तत्वाधान में गतिमान पुर्ननिर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-966/XVIII(2)/2015-15(15)/2015 दिनांक 08 अप्रैल 2015 में दी गयी व्यवस्था अनुसार शीतकाल (01 नवम्बर से 30 अप्रैल तक) व ग्रीष्मकाल (01 मई से 31 अक्टूबर तक) हेतु सन्पादित किये जाने वाले कार्य हेतु श्रमिक दरें निर्धारित की गई थीं।

श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग की वर्तमान परिस्थितियों व तथ्यों के आलोक में पूर्व निर्धारित श्रमिक दरों का इस कार्यालय के आदेश संख्या - 152/DDMA/2015-16 दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 के द्वारा गठित की गई समिति द्वारा उक्त दरों को पुनः परीक्षण करते हुए स्थान सीतापुर से सोनप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत दरों में कतिपय संशोधन की संस्तुति की गई है। अतः समिति की संस्तुति के आधार पर स्थान सीतापुर से श्री केदारनाथ धर्म के मध्य DDMA के तत्वाधान में किये जाने वाले कार्य हेतु अग्रिम आदेशों तक निम्नानुसार संशोधित श्रमिक दरें निर्धारित की जाती है ;

1. ग्रीष्मकालीन श्रमिक दरें, अवधि 1 मई से 31 अक्टूबर तक

क्र. सं.	श्रमिकों का प्रकार	स्थान का नाम				
		सीतापुर से सोनप्रयाग	सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड	गौरीकुण्ड से जंगलचट्टी	जंगलचट्टी से रामबाड़ा	रामबाड़ा से श्री केदारनाथ
1	मेट	550.00	600.00	675.00	700.00	800.00
2	अकुशल श्रमिक	500.00	550.00	625.00	650.00	750.00
3	अर्द्धकुशल श्रमिक	525.00	575.00	650.00	675.00	775.00
4	कुशल श्रमिक	550.00	600.00	675.00	700.00	800.00
5	मेसन	650.00	700.00	775.00	800.00	900.00
6	ब्लान्डर	650.00	700.00	775.00	800.00	900.00

नोट- उक्त श्रमिक दरों में राशन भी सम्मिलित है, जो सीतापुर-सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड, गौरीकुण्ड से जंगलचट्टी, जंगलचट्टी से रामबाड़ा एवं रामबाड़ा से श्री केदारनाथ हेतु क्रमशः ₹ 80.00, ₹ 85.00, ₹ 90.00 एवं ₹ 100.00 प्रति श्रमिक प्रतिदिन है।

2. शीतकालीन श्रमिक दरें, अवधि 1 नवम्बर से 30 अप्रैल तक

क्र.सं.	श्रमिकों का प्रकार	स्थान का नाम				
		सीतापुर से सोनप्रयाग	सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड	गौरीकुण्ड से जंगलचट्टी	जंगलचट्टी से रामबाड़ा	रामबाड़ा से श्री केदारनाथ
1	मेट	650.00	700.00	800.00	850.00	950.00
2	अकुशल श्रमिक	600.00	650.00	750.00	800.00	900.00
3	अर्द्धकुशल श्रमिक	625.00	675.00	775.00	825.00	925.00
4	कुशल श्रमिक	650.00	700.00	800.00	850.00	950.00
5	मेसन	750.00	800.00	900.00	950.00	1000.00
6	ब्लान्डर	750.00	800.00	900.00	950.00	1000.00

Raghu

नोट- उक्त श्रमिक दरों में सीतापुर से सोनप्रयाग को छोड़कर अन्य भागों में राशन अलग से देय होगा, जो सोनप्रयाग से गौरीकुण्ड, गौरीकुण्ड से जंगलचट्टी, जंगलचट्टी से रामबाड़ा एवं रामबाड़ा से श्री कंदारनाथ हेतु क्रमशः ₹.100.00, ₹.150.00, ₹.200.00 एवं ₹.300.00 प्रति श्रमिक प्रतिदिन है, सीतापुर से सोनप्रयाग के मध्य श्रमिक दरों में ही राशन सम्मिलित है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डा० राघव लंगर)

आई०ए०एस०

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

(D.D.M.A), रुद्रप्रयाग।

॥ कार्यालय जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग ॥

पत्रांक : 204/DDMA/2015-16

दिनांक : 08 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि :

- 1- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार निर्धारित श्रमिक दरों को जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की जनपदीय समिति की आगामी बैठक में समिति से अनुमोदित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- सनस्त कार्यालयाध्यक्ष, कार्यदायी संस्थायें अन्तर्गत, DDMA रुद्रप्रयाग।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- सचिव, आपदा-प्रबन्धन एवं पुनर्वास/सचिव, SDMA, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 5- निजी सचिव, मुख्य प्रधान सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 6- स्टॉफ ऑफिसर-मुख्य सचिव/अध्यक्ष महोदय, HPC (आपदा), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

Raghu

जिलाधिकारी/अध्यक्ष

(D.D.M.A), रुद्रप्रयाग।